फर्द अहकाम

न्यायालय ————————

राजेन्द्र ———————— बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष 85/2023 : ———————— / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/3/24	पत्रावली पेश हुई। चूंकि उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस / आपत्ति कुर्रेजात हेतु पत्रावली दिनांक 28/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)
	28/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप० प्रतिवादी सं० 5 लगायत 8 की ओर से प्रार्थना बाबत् गलत कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किये जाने व पुनः वास्तविक मौके के अनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव [illegible] पेश किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का जवाब व [illegible] बहस प्रार्थना पत्र की मद्दे पत्रावली वास्ते जाब्ता दिनांक 3/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड [illegible]री जयपुर द्वितीय [illegible]र)
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] बाबत आपत्ति कुर्रेजात [illegible] दिनांक 28/3/2024 को [illegible] रिपोर्ट व प्रतिवादी सं० 5 लगायत 8 [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली में [illegible] जाकर शामिल मिसल किया [illegible] पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद संख्या : 88/2023
निर्णय दिनांक : 03.04.2024

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार बलाई, आयु 44 वर्ष,
2. राकेश कुमार, आयु 38 वर्ष,
3. लोकेश, आयु 32 वर्ष
   पुत्रान स्व. श्री देवा समस्त जाति बलाई, निवासीगण– गणपतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.........वादीगण

बनाम

1. श्रीमान आयुक्त महोदय जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
2. मुन्नी देवी पत्नी श्री शम्भूदयाल, जाति बलाई, निवासी– ग्राम टटेरा, जिला सीकर, हाल निवासी 65/358, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर
3. पार्वति देवी पत्नी श्री बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी– मकान नम्बर 69, नेहरू नगर, नई दिल्ली
4. रामकरण
5. हनुमान
6. रामफूल
7. राधेश्याम
8. कैलाश
   प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 पुत्रान स्व. श्री मूल चन्द, समस्त जाति बलाई, निवासीगण गणतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
9. तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत तकासमा आराजी कृषि भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा,</u>
<u>वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 32 खाता संख्या पुराना 21, खसरा संख्या 55 रकबा 1.1200 हैक्टेयर दूसरा खाता संख्या नया 31 खाता संख्या पुराना 20 खसरा संख्या 56 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 57 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा तीसरा खाता संख्या नया 34 खाता संख्या पुराना 23 खसरा संख्या 58 रकबा 1.3000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खाता	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
2	62	55	1.12	राजेन्द्र, राकेश, लोकेश पिता देवा हि 7/16 जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 1/2 रोशन पुत्री बाबूलाल, राजेश मुकेश पिता बाबूलाल हि 1/144, मुन्नी पत्नी शंभूदयाल हिस्सा 1/48, कैलाश, हनुमानसहाय, रामफूल, रामकरण, राधेश्याम पि0 मूलचन्द हिस्सा 5/144 जाति बलाई
	कुल किता 1		1.12	
2	34	58	1.30	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा 1/2 जाति बलाई, जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 9/20, पार्वती पत्नी बाबूलाल हिस्सा 1/20 जाति बलाई
	कुल किता 1		1.30	
3	31	56 57	0.06 0.12	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा 1/2 जाति बलाई, जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 1/2
	कुल किता 2		0.18	
कुल किता				

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा जाति बलाई	56 57 55 मिन	0.06 0.12 1.05		
	कुल किता	3	1.23		
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 19/20, पार्वती पत्नी बाबूलाल हिस्सा 1/20 जाति बलाई निवासी 69, नेहरू नगर, नई दिल्ली	58	1.30		
	कुल किता	1	1.30		
3.	कैलाश, हनुमानसहाय, रामफूल, रामकरण, राधेश्याम पि0 मूलचन्द हिस्सा 5/9, रोशन पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/27, राजेश मुकेश पिता बाबूलाल हि 2/27, मुन्नी पत्नी शंभूदयाल हिस्सा 1/3, जाति बलाई	55 मिन.	0.07		
	कुल किता	1	0.07		
	कुल किता				

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के हिस्से 0.07 हैक्टेयर में बने मकानात को सुरक्षित रखते हुये उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकारमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं विभाजन पश्चात् उभयपक्षकारान से सीमाज्ञान का

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र लेकर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/04/2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 85/2023
निर्णय दिनांक : 03/04/2024

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार बलाई, आयु 44 वर्ष,
2. राकेश कुमार, आयु 38 वर्ष,
3. लोकेश, आयु 32 वर्ष

पुत्रान स्व. श्री देवा समस्त जाति बलाई, निवासीगण– गणपतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमान आयुक्त महोदय जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकारण, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
2. मुन्नी देवी पत्नी श्री शम्भूदयाल, जाति बलाई, निवासी– ग्राम टटेरा, जिला सीकर, हाल निवासी 65/358, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर
3. पार्वति देवी पत्नी श्री बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी– मकान नम्बर 69, नेहरू नगर, नई दिल्ली
4. रामकरण
5. हनुमान
6. रामफूल
7. राधेयाम
8. कैलाश

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 पुत्रान स्व. श्री मूल चन्द, समस्त जाति बलाई, निवासीगण गणतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

9. तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा आराजी कृषि भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा,
वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खाता संख्या नया 32 खाता संख्या पुराना 21, खसरा संख्या 55 रकबा 1.1200 हैक्टेयर दूसरा खाता संख्या नया 31 खाता संख्या पुराना 20 खसरा संख्या 56 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 57 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा तीसरा खाता संख्या नया 34 खाता संख्या पुराना 23 खसरा संख्या 58 रकबा 1.3000 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी कृषि भूमि के वादीगण के पूर्वज रामानन्द के नाम से दर्ज थी। रामानन्द का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

रामानन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

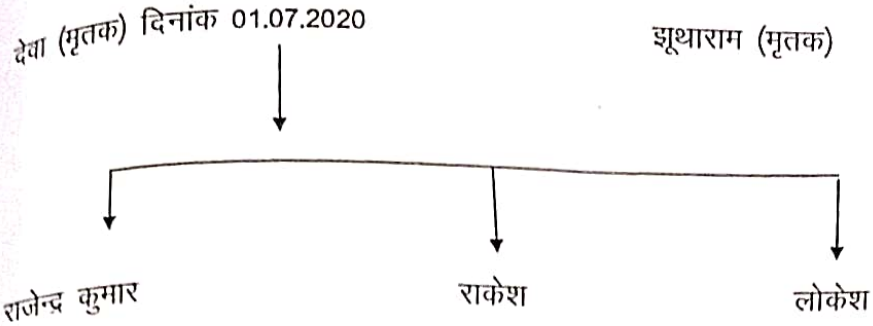

देवा (मृतक) दिनांक 01.07.2020 — झूथाराम (मृतक)

↓

राजेन्द्र कुमार — राकेश — लोकेश

उक्त समस्त आराजी कृषि भूमि के समस्त खातो में दर्ज आराजी कृषि भूमि रामानन्द के नाम से दर्ज थी। रामानन्द की मृत्यु के बाद रामनन्द के दो पुत्र देवा व झूथाराम हुये। देवा की मृत्यु दिनांक 01.07.2020 को हो जाने के पश्चात् देवा के जीवित वारिसान के रूप में वादीगण रहे। इस प्रकार उक्त समस्त आराजी कृषि भूमि में रामानन्द के बाद देवा का हिस्सा 1/2 तथा दूसरे पुत्र झूथाराम का हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ। देवा की मृत्यु के बाद वादीगण के हक में एक विरासत खोली जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होकर मालिक व स्वामी होकर काबिज काश्त बदस्तूर चले आ रहे है। झूथाराम ने अपने जीवनकाल में स्वंय की समस्त आराजी कृषि भूमि का हिस्सा 1/2 को प्रतिवादीगण को बेचान कर कब्जा काश्त करवा दिया। इस प्रकार समस्त आराजी भूमि के समस्त खसरा नम्बरान में वादीगण के साथ प्रतिवादीगण भी अपने हिससे के अनुसार खातेदार दर्ज हो गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी कृषि भूमि के समस्त खातो में 1/2 का हिस्सेदार दर्ज होने के कारण आवासीय योजना नारायण विहार टी–ब्लॉक जयपुर के नाम से योजना बसा दी। इस योजना के बस जाने के बाद वादीगण का हिस्सा 1/2 के चारो ओर आवासीय योजना हो जाने से प्रतिवादीगण के दिल में बदनियति आ गई जो वादीगण के हिस्सा जायदाद में जबरन कब्जा करने पर उतारू है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ता 08 के दिल में भी बदनियति आ गई जो उक्त आवासीय योजना की आड में वादीगण की आराजी कृषि भूमि जिसमें वर्तमान में बरसात नही होने के कारण खाली भूमि पडी है, के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा करने पर उतारू होकर वादीगण को कब्जे से बेदखल करने की एलानिया धमकी दे रहे है। इस लिये वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु वाद पत्र तुरन्त पेश करना लाजमी आया है। वादीगण के साथ में अन्य प्रतिवादीगण जो वादीगण के सगे चाचा झूथाराम के द्वारा बेची गई सम्पत्ति है जिसमें झूथाराम का 1/2 हिस्सा होता है की आड में प्रतिवादीगण तकासमा करने से साफ इन्कार हो रहे है। वादीगण ने दिनांक 14.06.2023 को प्रतिवादीगण से उक्त आराजी के तकासमा करने बाबत् कहा तो साफ इन्कार हो गये और कहने लगे कि अब क्या खेती होगी, आबादी हो गई है, यदि आप खाली भूमि रखोगे तो ऐसे ही हम लोग कब्जा करेगे। आप कुछ नही कर पाओगे। इस लिये वादीगण को पूरा पूरा अन्देशा हो गया है कि प्रतिवादीगण तकासमा सम्पत्ति किये बिना जबरन दीगर व्यक्तियों को उक्त आवासीय योजना की आड में प्लॉट काट कर कब्जा सम्पत्ति सम्भलाने पर उतारू है। इस लिये राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु वाद बाबत् तकासमा पेश करना लाजमी आया है। उक्त समस्त आराजी कृषि भूमि जो वाद पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित है में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है, इसी के मुताबिक वादीगण का हिस्सा अलग किया जाकर अलग से मेड बन्दी की जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का खाता खतोनी अलग दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 09 को आदेशित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 09 वादीगण का हिस्सा अलग कर मौके पर नाप जोख [illegible] के मुताबिक वादीगण का हिस्सा अनुसार मेडबन्दी कर खाता खतोनी अलग से दर्ज कर समस्त रा[illegible]र्ड में इन्द्राज करे। उक्त आवासीय योजना की आड में प्रतिवादी सं[illegible] गई भूमि जो प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा खसरा नम्बर 55 में [illegible] का हिस्सा जो मुन्नी देवी के नाम दर्ज है का हिस्सा 1/48 [illegible] रूप से दिनांक 14.06.2023 को वादीगण की खाली भूमि है पर जबरन कब्जा करने की नि[illegible] से मौके पर निर्माण समाग्री डालकर नीव खुदाई का कार्य चालू करने पर उतारू है, जिसका पता लगने पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉंगानेर)

दिनांक 14.06.2023 को मौके पर गये और प्रतिवादी संख्या 02 व 04 ता 08 से इस कृत्य का विरोध किया तो प्रतिवादीगण झगडे फसाद पर आमादा होकर जदरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है तथा ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम जबरन कब्जा कर आपको उक्त आराजी से बेदखल कर दीगर व्यक्ति को कब्जा सम्पत्ति सम्भला देगे और ना ही हम किसी प्रकार का कोई तकासमा करेगे। आपको जो कुछ करना है कर लो, इस लिये वादीगण को पूरा पूरा अन्देशा हो गया है कि प्रतिवादीगण तकासमा सम्पत्ति ना कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। इस लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 14.06.2023 को तकासमा करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो बदस्तूर जारी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :—

(क) वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी से निर्णित फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित आराजी कृषि भूमि के समस्त खसरा नम्बरान की खातो में दर्ज भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2—1/2 अलग किया जाकर मौके पर नाप जोक कर अलग मेड बन्दी की जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता खतोनी दर्ज की जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित भूमि के वादीगण के हिस्से 1/2—1/2 हिस्से पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण नही करे और ना ही दीगर व्यक्तियों को बेचान कर वादीगण के द्वारा किये जा रहे शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई हैराफैरी करवाये। ऐसा कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और ना ही किसी सगे सम्बन्धि, एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से ऐसा करवाये। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 1606.2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 04.01.2024 को वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एस. वर्मा ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 व 9 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की तामिल गोर हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 12.01.2024 को पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वादीगण की ओर से श्री पुरूषोत्तम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 लगायत 8 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 की रजिस्ट्री डाक रसीदे व ट्रेक रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद रजि0 डाक सूचना अनुपस्थित होने से प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी हेतु नियम की गई। दिनांक 24.01.2024 को वादीगण के प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई, वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान की बहस प्रारम्भिक डिक्री हेतु सुनी गई। दौराने बहस वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया, वाद पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित आराजी कृषि भूमि के समस्त खसरा नम्बरान की खातो में दर्ज भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2—1/2 अलग किया जाकर मौके पर नाप जोक कर अलग मेड बन्दी की जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता खतोनी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की जावे। प्रतिवादी 2 एवं 4 लगायत 8 के अधिवक्ता ने दौराने बहस मौखिक निवेदन किया कि पत्रावली में तहसीलदार सांगानेर से मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्षकारान का सगौर मनन किया जाने पर वादीगण की ओर से पेश वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 32 खाता संख्या पुराना 21, खसरा संख्या 55 रकबा 1.1200 हैक्टेयर दूसरा खाता संख्या नया 31 खाता संख्या पुराना 20 खसरा संख्या 56 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 57 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा तीसरा खाता संख्या नया 34 खाता संख्या पुराना 23 खसरा संख्या 58 रकबा 1.3000 हैक्टेयर की उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर तकासमा किया जाकर वादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान–अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 15.02.2024 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0/कुरेजात/2024/1346 दिनॉक 19.02.2024 के संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् कुरेजात रिपोर्ट को रिकार्ड पर नही लिये जाने व पुनः वास्तविक मौके व कब्जे के अनुसार कुरेजात प्रस्ताव हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु पेश किया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त की, वकील वादी ने नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस प्रार्थना पत्र की गई। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई, बहस उभयपक्षकारान पर मनन करने पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् कुरेजात रिपोर्ट को रिकार्ड पर नही लिये जाने व पुनः वास्तविक मौके व कब्जे के अनुसार कुरेजात प्रस्ताव हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु को खारिज किया गया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 32 खाता संख्या पुराना 21, खसरा संख्या 55 रकबा 1.1200 हैक्टेयर दूसरा खाता संख्या नया 31 खाता संख्या पुराना 20 खसरा संख्या 56 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 57 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा तीसरा खाता संख्या नया 34 खाता संख्या पुराना 23 खसरा संख्या 58 रकबा 1.3000 हैक्टेयर का तकासमा मौका मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:55:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खाता	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
2	82	55	1.12	राजेन्द्र, राकेश, लोकश पिता देवा हि 7/16 जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 1/2 रोशन पुत्री बाबूलाल, राजेश मुकेश पिता बाबूलाल हि 1/144, मुन्नी पत्नी शंभूदयाल हिस्सा 1/48, कैलाश, हनुमानसहाय, रामफूल, रामकरण, राधेश्याम पि0 मूलचन्द हिस्सा 5/144 जाति बलाई
	कुल किता 1		1.12	
2	34	58	1.30	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा 1/2 जाति बलाई, जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 9/20, पार्वती पत्नी बाबूलाल हिस्सा 1/20 जाति बलाई
	कुल किता 1		1.30	
3	31	56 57	0.06 0.12	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा 1/2 जाति बलाई, जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 1/2
	कुल किता 2		0.18	
कुल किता				

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	राकेश, राजेश, लोकेश पि0 देवा हिस्सा जाति बलाई	56 57 55 मिन	0.06 0.12 1.05		
	कुल किता	3	1.23		
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा 19/20, पार्वती पत्नी बाबूलाल हिस्सा 1/20 जाति बलाई निवासी 69, नेहरू नगर, नई दिल्ली	58	1.30		
	कुल किता	1	1.30		
3.	कैलाश, हनुमानसहाय, रामफूल, रामकरण, राधेश्याम पि0 मूलचन्द हिस्सा 5/9, रोशन पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/27, राजेश मुकेश पिता बाबूलाल हि 2/27, मुन्नी पत्नी शंभूदयाल हिस्सा 1/3, जाति बलाई	55 मिन.	0.07		
	कुल किता	1			
	कुल किता				

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉंगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के हिस्से 0.07 हैक्टेयर में बने मकानात को सुरक्षित रखते हुये उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं विभाजान पश्चात् उभयपक्षकारान से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:38 IST
Reason: SelfAttested